# छथर गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७६

**प्रस्तावना:** छथर गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त स्थानीय कर तथा शुल्क संकलन गर्ने, छुट दिने तथा आय संकलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

नेपालको संविधानको धारा २२६ को उपधारा (१) बमोजिम छथर गाउँपालिकाको तेस्रो गाउँसभाले यो ऐन बनाएको छ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "अर्थिक ऐन, २०७६" रहेको छ ।

(२) यो ऐन २०७६ साल श्रावण १ गते देखि छथर गाउँपालिका क्षेत्रमा लागू हुनेछ ।

२. सम्पत्ती कर: गाउँपालिका क्षेत्रभित्र अनुसूचि (१) बमोजिम घरजग्गा कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

३. भूमी कर (मालपोत): गाउँपालिका क्षेत्रभित्र अनुसूचि (२) बमोजिम भूमी कर (मालपोत) लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।

४. घर वहाल कर: गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर र जग्गा वा पोखरी पूरै वा आंशिक तवरले वहालमा दिएकोमा अनुसूचि (३) बमोजिम घर जग्गा वहाल कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

५. व्यवसाय कर: गाउँपालिका क्षेत्रभित्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पूँजीगत लगानी र आर्थिक कारोवारका आधारमा अनुसूची (४) बमोजिम व्यवसाय कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

६. जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर: गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले ऊन, खोटो, जडीबुटी, वनकस, कवाडी माल र प्रचलित कानूनले निषेध गरिएको जीवजन्तु वाहेकका अन्य मृत वा मारिएका जीवजन्तुको हाड, सिङ, प्वाँख, छाला जस्ता वस्तुको व्यवसायिक कारोवार गरी सडकको प्रयोग गरे वापत अनुसूचि (५) बमोजिमको कर लगाइने र ठेक्का आवाहान गरी अधिकतम बोल कबोललाई मान्यता दिई ठेक्का लगाई असूल उपर गरिनेछ ।

७. सवारी साधन कर: गाउँपालिका क्षेत्र भित्र दर्ता भएका सवारी साधनमा अनुसूची (६) बमोजिम सवारी साधनकर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ । तर प्रदेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही बमोजीम हुनेछ ।

८. विज्ञापन कर: गाउँपालिका क्षेत्रभित्र हुने विज्ञापनमा अनुसूची (७) बमोजिम विज्ञापन कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ । तर प्रदेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही बमोजिम हुनेछ ।

९. मनोरञ्जन कर: गाउँपालिका क्षेत्रभित्र हुने मनोरञ्जन व्यवसाय सेवामा अनुसूचि (८) बमोजिम व्यवसाय कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ । तर, प्रदेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही बमोजिम हुनेछ ।

१०. बहाल बिरौटी शुल्क: गाउँपालिका क्षेत्रभित्र आफुले निर्माण, रेखदेख वा संचालन गरेका अनुसूचि (९) मा उल्लेख भए अनुसार हाट बजार वा पसलमा सोही अनुसूचिमा भएको व्यवस्था अनुसार बहाल बिरौटी शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

११. पार्किङ शुल्क: गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै सवारी साधनलाई पार्किङ सुविधा उपलध गराए वापत अनुसूचि (१०) बमोजिम पार्किङ शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

१२. ट्रेकिङ, कोयोकिङ, क्यानोइंग, बन्जी जम्पिंग, जिप्लायर र ¬याफ्टिंग शुल्क: गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र ट्रेकिङ, कोयोकिङ, क्यानोइंग, बंजी जम्पिंग, जिप्लायर र ¬याफ्टिंग सेवा वा व्यवसाय संचालन गरेवापत अनुसूचि (११) बमोजिमको शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

१३. सेवा शुल्क र दस्तुर: गाउँपालिकाले निर्माण, संचालन वा व्यवथापन गरेका अनुसूचि (१२) मा उल्लिखित स्थानीय पूर्वाधार र उपलव्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहिबाट सोही अनुसूचिमा व्यवस्था भए अनुसार शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

१४. पर्यटन शुल्क: गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्ने पर्यटकहरूबाट अनुसूची (१३) मा उल्लिखित दरमा पर्यटन शुल्क लगाईने र असुल उपर गरिनेछ । तर प्रदेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही बमोजिम हुनेछ ।

१५. सिफारिस दस्तुर : गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका नागरिकको लागि कुनै पनि सिफारिस गरे वापत अनुसूची (१४) मा उल्लेख भए बमोजिम दस्तुर लिइनेछ ।

१६. कर छुट: यस ऐन बमोजिम कर तिर्ने दायित्व भएका व्यक्ति वा संस्थारूहलाई अनुसूची (१५) मा उल्लेख भए बमोजिम मालपोत कर छुट दिईनेछ ।

१७. कर तथा शुल्क संकलन सम्वन्धी कार्यविधि: यो ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कर तथा शुल्क संकलन सम्वन्धी कार्यविधि गाउँपालिकाले तोके अनुसार हुनेछ ।

१७. संस्था, व्यावसाय, संघ, समिति, समुह, संजाल, मन्च र नेटवर्क दर्ता दस्तुर: यस गाउँपालिकाले आफ्ना क्षेत्र भित्रका नागरिकहरुले संस्था, व्यावसाय, संघ, समिति, समुह, सन्जाल, मन्च र नेटवर्क दर्ता वापत अनुसूची (१६) मा उल्लेख भए बमोजिम दर्ता दस्तुर लिइनेछ ।

सन्तबीर लिम्बु
अध्यक्ष

अनुसुची - १
(दफा २ संग सम्वन्धित)

**घर जग्गा कर**

| क.सं | विवरण (घरको क्षेत्रफल) | आ.व. २०७६/०७७ निर्धारित करको दर/प्रति वर्ग फिट | कैफियत |
|---|---|---|---|
| १. | कच्ची घर | रु.१।- | निजी जग्गाभन्दा अन्य जग्गामा वनेका घर र जग्गाको हकमा मात्र लागु हुने । |
| २. | पक्की घर १००० वर्ग फिट सम्मको लागि | रु.१।५० | |
| ३. | १००० वर्ग फिटदेखि २००० बर्गफिट सम्म | रु.२।- | |
| ४ | २००० बर्गफिट देखि माथि | रु ३। | |

सन्तबीर लिम्बु
अध्यक्ष

अनुसुची - २
(दफा ३ संग सम्वन्धित)

**भुमि कर (मालपोत)**

| क्र.सं | विवरण | २०७६/०७७ मा निर्धारित दर/प्रति रोपनी | कैफियत |
|---|---|---|---|
| १. | २० रोपनी भन्दा कमको लागि | रु ३।- | बाँझो जग्गा राख्नेको हकमा गाउँ कार्यापालिकाको निर्णय बमोजिम हुनेछ । |
| २. | २० रोपनी भन्दा माथि ४० रोपनी सम्मको लागि | रु.४।- | |
| ३. | ४० रोपनी भन्दा माथिको लागि | रु.५।- | |

सन्तबीर लिम्बु
अध्यक्ष

अनुसुची - ३
(दफा ४ सँग सम्वन्धित)

यस आर्थिक वर्षको लागि घर वहाल कर अनिवार्य लगाइनेछ।

"स्थानीय सवायत्त शासन ऐन २०५५" को परिच्छद ८ को दफा १३७ बमोजिम बहालमा दिएका खालि जमिन घर गोदाम ग्यारेज सेड छप्पर कारखाना जग्गा वा पोखरी पुरै वा आंशिक तवरले बहालमा दिएकोमा गाउँपालिकाले १० प्रतिशतका दरले बहाल कर लिने छ र यसको अभिलेख राखी सम्वन्धित पक्षलाई जानकारी गराईने छ।

क. व्यवसायिक दृष्टिकोणले बहालमा दिएको जग्गा जमीन घर गोदाम र पसल आदिको बहाल कर १० प्रतिशतका दरले असुल गरीने छ।

ख. संघ संस्था वा कार्यलय संचालनको लागि बहाल दिएका जग्गा जमिन घर गोदाम ग्यारेज आदिमा १० प्रतिशतका दरले घर बहाल कर भाडाबाट कट्टा गरी गाउँपालिकामा बुझाउन र सम्झौतामानै सो कुरा उल्लेख गर्न सम्बधित संघ संस्था कार्यालयलाई अनुरोध गरिने छ।

ग. गाउँपालिकाले घरधनीसंग बहालको रेकर्ड माग गर्नेछ। सो को यथार्थ लगत बहालमा बस्ने व्यक्ति वा घरधनीले नदिएमा गाउँपालिकाले आफनै तर्फबाट सो स्थानको बहाल निर्धारण गरी सार्वजनिक सुचना गरी असुल गीरने छ।

घ. वहाल लिने व्यक्तिलाई बहालवाट हटाउदा घरधनिले गाउँपालिकालाई जानकारी दिए पश्चात मात्र बहालको लागत कटटा गरिने छ।

ङ. घरधनी र बहालमा बस्ने बीच बहाल अंक समेत उल्लेख गरी सम्झौता गरीने छ। बहाल लिने र दिने बीच कुनै एक पक्षले सम्झौता गर्न नमानेको सुचना गाउँपालिकामा प्राप्त भएमा गाउँपालिकाले सम्झौता गराउन प्रयत्न गर्ने छ।

च. कुनै घरधनीले गाउँपालिकालाई जानकारी नगराई कर तिरेको कारणबाट जबरजस्ती बहालमा बस्ने व्यक्तिलाई हटाएमा बहालमा बस्नेको संरक्षण गरी बहालमा राख्न गाउँपालिकाले प्रयत्न गर्ने छ।

छ. बहालकर नर्तिने र बहाल लिएको सुचना नदिने व्यक्तिलाई कुनै पनि व्यहोराको सिफारिस नगरपालिकाबाट गरिने छैन।

ज. घरबहाल कर सम्बन्धमा अन्य कुनै सिफारिसको माग गरेमा, विवाद वा समस्या पर्न आएमा बहाल कर नबुझाएका घरधनीहरुको सिफारिस र उक्त समस्या समाधान गरी दिने तर्फ गाउँपालिकाले कुनै कारबाही अगाडी बढाइने छैन।

झ. यस गाउँपालिका क्षेत्र भित्रको घर बहालको रेकर्ड लिन तथा बहाल कर असल गर्ने कार्यका लागि गाउँपालिकाबाट आवश्यक्ता अनुसार टोली खटाइने व्यवस्था मिलाइनेछ।

ञ घर बहाल कर सम्बन्धी गाउँपालिकाले आवश्यक सिफारिस प्रमाणित गर्न परेमा उल्लेखित कर लिएर मात्र प्रमाणित एवं सिफारिस गरिनेछ।

ट. बहालकर स्वयं घोषणा घरधनीबाट गर्न गाउँपालिकाले आवश्यक कार्यक्रम तयार गरी लागु गर्नेछ।

ठ. बहाल कर गाउँपालिकामा नबुझाएका घरको बहाल सम्बन्धी कुनै पनि विवाद भएमा कर असुली नभए सम्म नभए गाउँपालिकाका तर्फबाट साक्षी रोहवर तर्फ घरधनीलाई चलाएको प्रकृयागत कारवाहीमा गा.पा.ले सहयोग पुयाउने छ।

सन्तबीर लिम्बु
अध्यक्ष

अनुसुची -४
(दफा ५ संग सम्वन्धित)

**व्यवसाय कर(पूंजीको आधारमा)**

१. व्यापारीक बस्तूहरुको बार्षिक कर तथा नविकरण शुल्क

(क) चूरोट तथा रक्सी जन्य पदार्थ, हार्डवेयर र ज्वेलर्ससंग सम्वन्धित बस्तूहरुको व्यापार व्यवसाय (मदिरा र कोल्ड डिंक्स सहितको किराना पसल समेत)

| सि.न. | विवरण | आ.व. २०७६/०७७ का लागि निर्धारित कर रु. |
|---|---|---|
| १. | १ लाख देखि ३ लाख सम्म | ५००। |
| २. | ३ लाख १ देखि १५ लाख सम्म | ६००। |
| ३. | १५ लाख १ देखि १ करोड सम्म | ७००। |
| ४. | १ करोड १ देखी ५ करोड सम्म | ८००। |
| ५. | ५ करोड १ देखि माथी | १५००। |

ख) क्यामेरा, टेलीभिजन, चस्मा लगायतका विद्युतिय समाग्री (सिटी प्लेयर्स, कम्प्यूटर सामाग्री समेतका व्यवसायहरु)

| सि.न. | विवरण | आ.व. २०७६/०७७ का लागि निर्धारित कर रु. |
|---|---|---|
| १. | ५ लाख सम्म | ४००। |
| २. | ५ लाख १ देखि २० लाख सम्म | ५००। |
| ३. | २० लाख १ देखि १ करोड सम्म | ६००। |
| ४. | १ करोड १ देखि ५ करोड सम्म | ८००। |
| ५. | ५ करोड १ देखि माथी | १५००। |

(ग) ट्याक्टर विक्री, कार जीप, अटोमोवाइल्स, मोटरपार्टस्, मोटरसाईकल, मिल, मेशिनरी, आदि

| सि.न. | विवरण | आ.व. २०७६/०७७ का लागि निर्धारित कर रु. |
|---|---|---|
| १. | १ लाख सम्म | ३००। |
| २. | १ लाख १ देखि ५ लाख सम्म | ४००। |
| ३. | ५ लाख १ देखि १० लाख सम्म | ५००। |
| ४. | १० लाख १ देखि २० लाख सम्म | ६००। |
| ५. | २० लाख १ देखि १ करोड सम्म | १५००। |
| ६. | १ करोड १ देखि माथी | २०००। |

(घ) किताव, कापी तथा स्टेशनरीसँग सम्बन्धित व्यवसाय (औषधि पसल र किराना व्यवसाय समेतको हकमा)

| सि.न. | विवरण | आ.व. २०७६/०७७ का लागि निर्धारित कर रु. |
|---|---|---|
| १. | ५० हजार सम्म | ३००। |
| २. | ५० हजार १ देखि १ लाख सम्म | ४००। |
| ३. | ३ लाख १ देखि ५ लाख सम्म | ५००। |
| ४. | ५ लाख १ देखि २० लाख सम्म | ६००। |
| ५. | २० लाख १ देखि २५ लाख सम्म | ८००। |
| ६. | २५ लाख १ देखि माथि | १२००। |

(ङ) कृषिसंग सम्बन्धित व्यवसायको हकमा (कृषि फार्म, गाई पालन, सूंगूर पालन, बाखा पालन व्यवसाय, कृषि सामाग्री, औजार, मल, विउ, गाई दाना, चोकर, कुखुरा दाना, पशुपंक्षी, आहार)

| सि.न. | विवरण | आ.व. २०७६/०७७ का लागि निर्धारित कर रु. |
|---|---|---|
| १. | १ लाख सम्म | ३००। |
| २. | १ लाख १ देखि ५ लाख सम्म | ४००। |
| ३. | ५ लाख १ देखि १० लाख सम्म | ५००। |

| | | |
|---|---|---|
| ४. | १० लाख १ देखि २० लाख सम्म | ६००। |
| ५. | २० लाख देखि माथि | १२००। |

नोट : दुध डेरीको लागि रु.५००। शुल्क लिइनेछ।

(च) शिसा, फ्रेमिङ, कार्पेट, सजावटका सामान र जनरल गुड्स आदी

| सि.न. | विवरण | आ.व. २०७६/०७७ का लागि निर्धारित कर रु. |
|---|---|---|
| १. | १ लाख सम्म | ३००। |
| २. | १ लाख १ देखि ५ लाख सम्म | ४००। |
| ३. | ५ लाख १ देखि १० लाख सम्म | ५००। |
| ४. | १० लाख १ देखि २० लाख सम्म | ६००। |
| ५. | २० लाख देखि माथि | १२००। |

छ( यस आर्थिक वर्षको लागि गाउँपालिका भित्र कार्यालयमा सुचनाको हक प्रयोग गरी फोटो कपी गरिदिदा देहाय बमोजिम शुल्क लिइनेछ। ठाडो निवेदन दिने निवेदन कर्ताबाट तोकिएको हुलाक टिकट शुल्क लिइनेछ।

| सि.न. | विवरण | आ.व. २०७६/०७७ का लागि निर्धारित कर रु. |
|---|---|---|
| १ | सुचनाको हक प्रयोग गरी फोटो कपी प्रतिपेज | १५ |
| २ | निवेदनका लागि हुलाक टिकट शुल्क | १० |

**२) सुति कपडा, रेडिमेड कपडा, जुत्ता चप्पल, पुल हाउस, कस्मेटिक, टेलर्स, सैलुन, सामान्य फेन्सी आदि व्यवसाय**

| सि.न. | विवरण | आ.व. २०७६/०७७ का लागि निर्धारित कर रु. |
|---|---|---|
| १. | १ लाख देखि ३ लाख सम्म | ४००। |
| २. | ३ लाख १ देखि ५ लाख सम्म | ५००। |
| ३. | ५ लाख १ देखि १५ लाख सम्म | ६००। |
| ४. | १५ लाख १ देखि ३० लाख सम्म | ७००। |
| ५. | ३० लाख १ देखि १ करोड सम्म | १२००। |
| ६. | १ करोड १ देखि ५ करोड सम्म | २०००। |
| ७. | ५ करोड १ देखि माथि | २५००। |

**३. विशेषक परामर्श तथा व्यवसायिक सेवा:**

(क) चिकित्सक, अहेव, कवीराज, होमियोपेथिक, आर्यूवेदिक, पशू डाक्टर, भेटरीनरी, सर्जिकल लगायत स्वस्थ्य संग सम्बन्धित व्यवसायहरु

| सि.न. | विवरण | आ.व. २०७६/०७७ का लागि निर्धारित कर रु. |
|---|---|---|
| १. | एम.डी. डाक्टरलाई | १०००। |
| २. | एम.वि.वि.एस., पशू डाक्टर | १०००। |
| ३. | पशू सहायकलाई | १०००। |
| ४. | कविराज, होमियोपेथिक, आर्युवेदिक डाक्टर | १०००। |
| ५. | सर्जिकल सामान खुद्रालाई | १०००। |
| ६. | औषधीपसल थोकलाई | १०००। |
| ७. | सर्जिकल सामान थोक | १०००। |
| ८. | भिडियो एक्सरे | १०००। |
| ९. | कविराज, होमियोपेथिक, आर्यूवेदिक अहेब | १०००। |
| १०. | शारिरीक व्यायाम सामाग्री विक्रि | १०००। |

(ख) टेलि चलचित्र, बृत्तचित निर्माण, परामर्श सेवा, अनूसन्धान तथा परामर्शदाता, अनुवादक, छापाखाना, प्रेस, स्क्रिन प्रिन्टर्स, आदि ।

| सि.न. | विवरण | आ.व. २०७६/०७७ का लागि निर्धारित कर रु. |
|---|---|---|
| १. | १ लाख देखि ३ लाख सम्म | १०००। |
| २ | ३ लाख १ देखि ५ लाख सम्म | १५००। |
| ३. | ५ लाख १ देखि १५ लाख सम्म | २०००। |
| ४. | १५ लाख १ देखि २० लाख सम्म | ३०००। |
| ५. | २० लाख १ देखि ५ करोड सम्म | ४५००। |
| ६. | ५ करोड देखि माथि | ५०००। |

*नोट : चलचित्र, टेलिचलचित्र, बृत्त चित्र निर्माणको हकमा ५ दिनको लागि रु.१०००। र सो भन्दा वढी अवधिको लागि रु.१५०० लिइनेछ ।*

(ग) केवल नेटवर्क सुचीकृत शुल्क

| सि.न. | विवरण | आ.व. २०७६/०७७ का लागि निर्धारित कर रु. |
|---|---|---|
| १. | केवल नेटवर्क व्यवसाय | रु.१५००। |

**(३) कानुन ब्यवसायी**

| सि.न. | विवरण | आ.व. २०७६/०७७ का लागि निर्धारित कर रु. |
|---|---|---|
| १. | बरिष्ठ अधिवक्ता | १५००। |
| २. | अधिवक्ता | १०००। |
| ३. | लेखापढी व्यवसाय | १०००। |

(ङ) लेखापरिक्षक

| सि.न. | विवरण | आ.व. २०७६/०७७ का लागि निर्धारित कर रु. |
|---|---|---|
| १. | श्रेणी क लेखापरिक्षक | २०००। |
| २. | श्रेणी ख लेखापरिक्षक | १५००। |
| ३. | श्रेणी ग लेखापरिक्षक | १२००। |
| ४. | श्रेणी घ लेखापरिक्षक | १०००। |

च) अन्य सेवाहरु वा फर्म

| सि.न. | विवरण | आ.व. २०७६/०७७ का लागि निर्धारित कर रु. |
|---|---|---|
| १. | बिमा एजेन्ट बिदेशी वा विदेशी सम्बन्धन प्राप्त | ३०००। |
| २. | बिमा एजेन्ट स्वदेशी | २०००। |
| ३. | विज्ञापन ऐजेन्सी | २५००। |
| ४. | सेयर दलाल | १०००। |
| ५. | अभिकर्ता | १०००। |
| ६. | कानुनी फर्म | १०००। |

(छ) निर्माण व्यवसाय तथा डोजर व्यवसाय सुचीकृत शुल्क

| सि.न. | विवरण | आ.व. २०७६/०७७ का लागि निर्धारित कर रु. |
|---|---|---|
| १. | श्रेणी क निर्माण व्यवसाय | १००००। |
| २. | श्रेणी ख निर्माण व्यवसाय | ८०००। |

| | | |
|---|---|---|
| ३. | श्रेणी ग (भवन निर्माणकर्ता ठेक्केदार समेत) | ३०००। |
| ४. | श्रेणी घ निर्माण व्यवसाय | २०००। |
| ५. | स्काभेटर सन्चालन अनुमती शुल्क | १००००। |

(ज) कूटानी पिसानी व्यवसायहरुको हकमा

| सि.न. | विवरण | आ.व. २०७६/०७७ का लागि निर्धारित कर रु. |
|---|---|---|
| १. | कूटानी तथा पिसानी मात्र २ फेज | २००। |
| २. | कुटानी पिसानी पेलानी ३ फेज | १०००। |

झ) उत्पादनमुलक उद्योग

अर्ध प्रशोधित माल वा खेर गईरहेको माल वा अन्य सामानको प्रयोग र प्रशोधन गरी मालसामान उत्पादन गर्ने व्यवसाय जस्तोः खेर गईरहेको प्लास्टीकबाट सामान निमार्ण गर्ने र फोहोरबाट मल निमार्ण गर्ने व्यवसायको हकमा व्यवसायको लगानि हेरी रु ५०००। सम्म लिईने छ ।

ञ) पर्यटन सेवा व्यवसाय :(आवास लज होटेल फास्टफूड रेष्टूरा रिसोर्ट, ट्राभल्स एजेन्सी, कन्फेन्स हल आदि)

| सि.न. | विवरण | आ.व. २०७६/०७७ का लागि निर्धारित कर रु. |
|---|---|---|
| १. | सानो ग्रामीण स्तरको चिया पसल वा ५० हजार सम्म लगानी भएको होटल | ३००। |
| २. | ५० हजार १ देखी १ लाख सम्म | ४००। |
| ३. | १ लाख १ देखी २ लाख सम्मको | ५००। |
| ४. | २ लाख १ देखी ५ लाख सम्मको | ६००। |
| ५ | ५ लाख १ देखी २० लाख सम्म | ९००। |
| ६ | २० लाख भन्दा बढि | १२००। |
| ७ | रिसोर्टहरुको हकमा | २०००। |

(ट) संचार सेवा एफ एम समेत

| सि.न. | विवरण | आ.व. २०७६/०७७ का लागि निर्धारित कर रु. |
|---|---|---|
| १. | १ लाखसम्म (१०० वाट) | ५००००।०० |
| २. | १ लाख देखि २ लाख ५० हजार सम्म (२५०वाट) | थप २०००।०० |
| ३. | २ लाख ५० हजार भन्दा माथी (२५० देखि माथि | थप १००००।०० |
| ४. | एफ.एम.रेडियो प्रसारंण (१०० देखि २५०) | १५००००।०० |
| ५. | २५० देखि ५००० वाटको | १५००००। |

*नोट : मोवाईल टावरको लागि प्रति टावर वार्षिक रु.५०००। कर लिईने छ ।*

३.वित्तीय सेवा

| सि.न. | विवरण | आ.व. २०७६/०७७ का लागि निर्धारित कर रु. |
|---|---|---|
| १. | वाणिज्य बैंक क श्रेणीको इजाजत प्राप्त | १५०००। |
| २. | बाणिज्य बैंक ख श्रेणीको इजाजत प्राप्त | १२०००। |
| ३. | वाणिज्य बैंक ग श्रेणीको इजाजत प्राप्त | १००००। |
| ४. | बाणिज्य बैंक घ श्रेणीको इजाजत प्राप्त | ८०००। |

| | | |
|---|---|---|
| ५. | विकास बैंक क श्रेणीको वित्तीयकम्पनीको मुख्य कार्यालय | १२०००। |
| ६. | विकास बैंक ख श्रेणीको इजाजत प्राप्त | १००००। |
| ७. | फाइनान्स क श्रेणीको इजाजत प्राप्त | ९०००। |
| ८. | फाइनान्स ख श्रेणीको इजाजत प्राप्त | ८०००। |
| ९. | फाइनान्स ग श्रेणीको इजाजत प्राप्त | ७०००। |
| १० | फाइनान्स घ श्रेणीको इजाजत प्राप्त | ६०००। |
| ११ | माइक्रो फाइनान्स | ८०००। |
| १२ | १ करोड सम्म कारोवार (वासालत) भएका सहकारी | १०००। |
| १३ | १ करोड १ देखी ३ करोड सम्म ( वासालत) भएका सहकारी | २०००। |
| १४ | ३ करोड १ देखी ५ करोड सम्म ( वासालत) भएका सहकारी | ३०००। |
| १५ | ५ करोड १ भन्दा माथि ( वासालत) भएका सहकारी | ४०००। |
| १६ | विमा कम्पनी | ५०००। |
| १७ | मनि ट्रान्सफर | ३०००। |

*नोटः बचत तथा ऋणको कारोवार नगरी पुर्णतया कृषिमा आधारीत सहकारीका हकमा बार्षिक नविकरण शूल्क लिईने छैन । माथि उल्लेखित सहकारीहरुको सम्बन्धमा कूनै सिफारीस गर्नू पर्ने भएमा प्रति सिफारीस रु.१०००। लाग्ने छ ।*

४.स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय (गौह्न सरकारी अस्पताल, नर्सिङ होम, क्लिनिक तथा ल्यावहरु लगायत स्वास्थ्य सेवासंग सम्बन्धित व्यवसायहरु)

| सि.न. | विवरण | आ.व. २०७६/०७७ का लागि निर्धारित कर रु. |
|---|---|---|
| १. | ५ लाख सम्मको लागि | १०००। |
| २. | ५ लाख देखि २० लाख सम्म | २५००। |
| ३. | २० लाख देखि १ करोड सम्म | ४०००। |
| ४. | १ करोड देखि ५ करोड सम्म | ६०००। |
| ५. | ५ करोड देखि माथी | ८०००। |

६. कन्सलटेन्सी, तालिम तथा प्रशिक्षण सम्वन्धी व्यवसाय

| सि.न. | विवरण | आ.व. २०७६/०७७ का लागि निर्धारित कर रु. |
|---|---|---|
| १. | तालिम तथा अनूसन्धान, कम्प्यूटर टाईपिङ, लगायत फोटो कपी समेत संचालन भई काम गर्ने हरुको हकमा, कम्प्यूटर तथा भाषा प्रशिक्षण, निजी क्षेत्र वाट दिइने शिक्षा सेवा तथा कोचिङ सेन्टर आदि । | १०००। |

६. मर्मत सेवा व्यवसाय

| सि.न. | विवरण | आ.व. २०७६/०७७ का लागि निर्धारित कर रु. |
|---|---|---|
| १. | टेक्टर, बस, ट्रक, हेवी इक्यूवमेन्ट, कार, जीप, सवारी डेन्टिङ्ग मोटर पार्टस, मिलमेशीनरी, एयरकूलर, टायर रिसोलिङ्ग, डाईनामाईट | १५००। |
| २. | मोटरसाईकल | ७००। |
| ३. | रेडियो घडि टिभी आदि ईलेकक्ट्रोनिक्स सामान | ६००। |
| ४. | ग्यासचूल्हो सेल्स, गाडीको पम्प, टायरटयूव पम्चर, ग्यास वल्डिङ्ग, वक्सा मर्मत गर्ने, साइकल, रिक्सा, लूगा सिउने मेशिन अन्य फोटोकपी, व्याग | ५००। |

सन्तवीर लिम्बु
अध्यक्ष

७.अन्य सेवा व्यवसाय

| सि.न. | विवरण | आ.व. २०७६/०७७ का लागि निर्धारित कर रु. |
|---|---|---|
| १. | वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने संस्था, हाउजिङ कम्पनी | ५,०००। |
| २. | उद्योग, संघसस्था आदिमा स्वदेशको लागि जनशक्ति सप्लाई गर्ने | २,०००। |
| ३. | कलर ल्याव | १०००। |
| ४. | घरजग्गा खरिद विक्री | ५०००। |
| ५. | विज्ञापन सेवा, फोटो स्टुडियो | १०००। |
| ६. | व्युटी पार्लर, केश श्रृगार, साईनवोर्ड, पेन्टिङ सैलून, नर्सरी | ५,००। |
| ७. | मासू (खसी, कूखूरा, रागा, बंगूर आदि) खूद्रा विक्रेता | ५,००। |
| ८. | मासू (खसी, कूखूरा, रागा, बंगूर आदि) थोक विक्रेता | १,०००। |
| ९. | पंचेवाजा | निशूल्क |
| १०. | वैण्ड वाजा | १०००। |
| ११. | सितभण्डार | ३,०००। |
| १२. | टेण्ट हाउस | १०००। |
| १३. | हाफ क्याटरीङ | १,०००। |
| १४. | साईवर क्याफे | १०००। |
| १५. | एग्रोभेट | १०००। |
| १६. | कवाढी पसल थोक | २,०००। |
| १७. | कवाडी पसल खूद्रा | २,०००। |
| १८. | ढूवानी सेवा शाखा भएका | २०००। |
| १९. | ढूवानी सेवा शाखा नभएको | १५००। |
| २०. | खाना मात्र विक्री होटल | १०००। |
| २१. | केटरीङ व्यवसाय | १५००। |
| २२. | कपडा सिलाई गर्ने मेसिन राखी टेलर्स व्यवसाय गर्ने | प्रति मेसिन ३०० |
| २३. | खाद्यान्न सम्बन्धि कांटा व्यवसाय | १०००। |
| २४. | पेट्रोलियम पदार्थ बेच्ने पम्प | न्यूनतम रु. ७००० प्रति मेसिन थप रु १०००। |
| २५. | ग्यास विक्री डिलर | १०००। |
| २६. | भाडा वर्तन, मनिहारी, हेल्थ केयर, कृतिम गहना, फेन्सी स्टोर, विक्रेता, सप्लायर्स, ट्रेडर्स, स्टोर | १०००। |
| २७. | डिपार्टमेन्ट स्टोर रेस्टुरेन्ट बेकरी सहितको | ५०००। |
| २८. | डिपार्टमेन्ट स्टोर | ४,०००। |

सन्तबीर लिम्बु
अध्यक्ष

अनुसुची - ५

(दफा ६ संग सम्वन्धित)

क) रुख कटान तथा खोटो, लक्कडी, अलैची, अमलिसो तथा तरकारी निकासी गर्दा सडक प्रयोग गरे बापत सडक मर्मत सम्भार शुल्क

| सि.नं. | विवरण | आ.व. २०७६/०७७ का लागि निर्धारित कर रु. |
|---|---|---|
| १ | खयर कटानी सिफारिस प्रति रुख रु | २००। |
| २ | उत्तिस कटानी सिफारिस प्रति रुख रु | ५०। |
| ३ | चिलाउने, सल्लो कटानी सिफारिस प्रति रुख रु | ५०। |
| ४ | सल्लाको खोटो प्रति टिन. रु | १०। |
| ५ | उत्तिस प्रति ट्रक | १५००। |
| ६ | उत्तिस प्रति ट्याक्टर | ५००। |
| ७ | खयर प्रति ट्रक | २०००। |
| ८ | खयर प्रति ट्याक्टर | ७००। |
| ९ | सल्ला चिलाउने प्रति ट्रक | १५००। |
| १० | सल्ला चिलाउने प्रति ट्याक्टर | ५००। |
| ११ | अलैची निकासी प्रति मन | २००। |
| १२ | तरकारी निकासी प्रति ट्रक | ६००। |
| १३ | तरकारी निकासी प्रति ट्रक | ३००। |
| १४ | अम्लिसो निकासी प्रति ट्रक | १०००। |
| १५ | अम्लिसो निकासी प्रति ट्याक्टर | ५००। |
| १६ | बाँस प्रति ट्रक | १५००। |
| १७ | बाँस प्रति ट्याक्टर | ५००। |

ख) सार्बजनिक जमिनको बालुवा, गीटी, ढुङ्गा तथा मिक्स गीटी उत्खनन तथा प्रयोग सम्बन्धी कर

| सि.नं. | विवरण | आ.व. २०७६/०७७ का लागि निर्धारित कर रु. |
|---|---|---|
| १ | बालुवा निकासी प्रति ठुलो ट्रक | ५००। |
| २ | बालुवा निकासी प्रति मिनी ट्रक | ४००। |
| ३ | बालुवा निकासी प्रतिट्याक्टर | २००। |
| ४ | गीटी निकासी प्रति ठुलो ट्रक | ५००। |
| ५ | गीटी निकासी प्रति मिनी ट्रक | ४००। |
| ६ | गीटी निकासी प्रति ट्याक्टर | २००। |
| ७ | ढुङ्गा निकासी प्रति ठुलो ट्रक | ३००। |
| ८ | ढुङ्गा निकासी प्रति मिनी ट्रक | २०[illegible] |
| ९ | ढुङ्गा निकासी प्रति ट्याक्टर | १००। |
| १० | मिक्स गीटी निकासी प्रति ठुलो ट्रक | ३००। |
| ११ | मिक्स गीटी निकासी प्रति मिनी ट्रक | २००। |
| १२ | मिक्स गीटी निकासी प्रति ट्याक्टर | १००। |
| १३ | पशु निकासी- गाई गोरु प्रति गोटा | ५०। |
| १४ | खसी बोका प्रति गोटा | २०। |
| १५ | भैसी प्रति गोटा | १००। |

अनुसुची - ६
(दफा ७ संग सम्वन्धित)

(क) सवारी दर्ता तथा बार्षिक सवारी कर

| सि न. | बिषय | विवरण | आ.व. २०७६/०७७ का लागि निर्धारित कर रु. | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| १ | सवारी साधन | मोटर साईकल स्कुटर लाई बार्षिक | २००। | छथर गाउँपालिका क्षेत्रमा स्थायी बसोवास गर्ने नागरीकको हकमा मात्र बार्षिक सवारी साधन कर लिईने छ भने अन्यका हकमा पटके सवारी साधन कर लिईने छ । छथर गाउँपालिकामा स्थायी बसोबास गर्नेका हकमा बार्षिक सवारी कर लिए पछि पटके सवारी कर लिईने छैन । र त्यस्ता करदातका लागि रु. ५०। लिई परीचय पत्र दिईने छ । जुन बार्षिक रुपमा नविकरण गर्नुपर्नेछ । |
| | | बस ट्रक | १०००। | |
| | | ट्याक्टर, बोलेरो, स्कोरपीयो, पिकअप प्रकृतिको | ७००। | |
| | | टेम्पो | ४००। | |

(ख)पटके सवारी कर

| सि.न | विवरण | आ.व. २०७६/०७७ का लागि निर्धारित कर रु. |
|---|---|---|
| १ | निजी तथा भाडाका बस, ट्रक, टयांक्टर, लहरीमा प्रति पटक | ३०। |
| २ | निजी तथा भाडाका कार, जीप, भेन प्रतिपटक | ३०। |
| ३ | विदेशी नं. प्लेट भएका सि.नं.१ बमोजिमका सवारी साधनको हकमा (कुटनीतिक नियोग बाहेक( | ६०। |
| ४ | विदेशी नं. प्लेट भएका सि.नं.२ बमोजिमका सवारी साधनको हकमा | ६० |

*नोटः सरकारी गाडीहरु, कूटनैतीक नियोगका गाडीहरु, दमकल र एम्बूलेन्समा पटके सवारी कर लिन नपाईने । साथै निकासीको कर लिए पश्चात पटके छुट गरिनेछ ।*

सन्तबीर लिम्बु
अध्यक्ष

गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
चुम्लिङ्वार, तेह्रथुम
१ नं. प्रदेश नेपाल

## अनुसुची - ७
(दफा ८ संग सम्वन्धित)

विज्ञापन कर

छथर गाउंपालिकामा हाल व्यवसायीक हिसाबमा कुनै पनि व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरु विज्ञापनको लागी पुग्ने सम्भावना न्युन रहेको हुंदा स्थान र आकार हेरि देहाय बमोजिमको आधारमा प्रति फुटको हिसावले विज्ञापन कर निर्धारण गरिएको छ ।

| क्र.सं | विवरण (होर्डिंग बोर्ड) | आ.व. २०७६/०७७ का लागि निर्धारित कर रु. | कैफियत |
|---|---|---|---|
| १. | (६ वर्ग फिट सम्मका लागि) | रु.१०। | प्रति वर्ग फिट |
| २. | होर्डिंग बोर्ड (७ वर्ग फिट देखि २५ वर्गा फिट सम्मका लागि) | रु.२०। | प्रति वर्ग फिट |
| ३. | २६ वर्गफिट देखि ५० वर्गफिट सम्मका लागि | रु.३०। | प्रति वर्ग फिट |
| ४. | ५१ वर्गफिट भन्दा माथिको लागि | रु.५०। | प्रति वर्ग फिट |

*नोट : डिजिटल विज्ञापनको सम्वन्धमा माथि उल्लेखित कर लिइने छैन ।*

सन्तबीर लिम्बु
अध्यक्ष

अनुसुची - ८
(दफा ९ संग सम्वन्धित)

मनोरन्जन कर : गाउँपालिका क्षेत्रभित्र देहाय बमोजिम मनोरन्जन कर लिइनेछ ।

१. गाउंपालिका क्षेत्र भित्र संचालित सिनेमा हलहरुबाट कुल सिट संख्याको ३५ प्रतिशत सिटलाई पुरा सिट संख्या मानि प्रत्येक टिकटमा लाग्ने प्रबेश शुल्कको २ प्रतिशत हुने रकम मनोरञ्जन कर बापत असुल गरिनेछ । माथि उल्लेख भए बमोजिम प्रति टिकटमा मनोरञ्जन कर लिईने व्यवस्था नभए सम्मका लागि बार्षिक रु ७,०००। मनोरन्जन करको रुपमा कर रकम लिईनेछ ।

२. सांकृतिक प्रदर्शन हल, नाच घर, दोहोरी संगीत तथा अन्य मनोरञ्जन सामाग्रि प्रदर्शनिमा प्रवेश शुल्कमा दुई प्रतिशत मनोरञ्जन कर लाग्नेछ ।

३. जादु, सकर्श, चटक र मेला आयोजना स्थलमा मनोरञ्जन कर वापत अनुमतिका लागि गरीने सिफारीसका दस्तुरका अतिरीक्त प्रत्येक दिनको लागि रु २००। लिईने छ ।

सन्तवीर लिम्बु
अध्यक्ष

अनुसुची - ९
(दफा १० संग सम्वन्धित)

(क) दैनिक गुद्रि/हाटबजार/साप्ताहिक हाटबजार (बहाल विरौटी) शुल्क

| सि न. | बिषय | विवरण | आ.व. २०७६/०७७ का लागि निर्धारित कर रु. | |
|---|---|---|---|---|
| १. | माछा, मासु विक्रि सम्बन्धि | खसि बोका काटि विक्री गर्ने पसलमा प्रति गोटा | ३०। | छथर गाउँपालिकामा उत्पादन गरी बजार खर्चको रुपमा बेचविखन गर्न ल्याएका तरकारीका हकमा हाट बजार कर छुट हुने छ। |
| | | सुगुर बंगुर काटी बिक्रि गर्ने पसलमा प्रति गोटा | २५। | |
| | | राँगा काटि काटी बिक्रि गर्ने पसलमा प्रति गोटा | ५०। | |
| | | माछा विक्रि गर्ने पसल | २०। | |
| | | परेवा, हासँ, लोकल, बोइलर कुखुरा पसल | १५। | |
| २. | कपडा तथा जुत्ता चप्पलसँग सम्वन्धि व्यवसायमा | रेडिमेट सामान र थान कपडा विक्रि गर्ने पसलमा | १००। | |
| | | जुत्ता चप्पल विक्रि गर्ने पसल ठूलो | १००। | |
| | | जुत्ता चप्पल विक्रि गर्ने पसल सानो | १००। | |
| | | जुत्ता चप्पल सिलाई गर्ने मोची | ५०। | |
| ३. | तरकारी तथा फलफूलसँग सम्बन्धित व्यवसायमा | फलफूल, नास्ता ठेलामा राखि विक्री गर्ने | १०। | |
| | | साग सब्जी डोकामा वा डालामा ल्याई बेच्ने | १०। | |
| | | भारमा सब्जी ल्याई बेच्ने | १०। | |
| | | सिजन अनुसारको साग सब्जी आलु पसल ठूलोमा | १०। | |
| | | सिजन अनुसारको साग सब्जी आलु पसल सानोमा | १०। | |
| | | फलफूल सागसब्जी प्रति बयलगाडा | १०। | |
| | | फलफूल सागसब्जी प्रतिवोरा र अन्य साना फलफूल पसलमा | १०। | |
| | | पान पसल | १०। | |
| ४. | खाद्यान्नसँग सम्बन्धित | चामल, दाल, अदुवा, लसुन, खोर्सानी आदि विक्रि गर्ने पसल | १०। | गाडि प्रयोग गरि रिटेलिङ को रूपमा कारोबार गर्ने व्यावसायीको हकमा गाउ-पालिका मा कतोकेको शुल्क रू १५००। तिरी आफ्नो व्यावसाय र गाडी सुचीकृत गरी मात्र व्यवसाय सन्चालन गर्ने । |
| | | मकै पोली बेच्ने | १०। | |
| | | किराना पसल | १०। | |
| | | माछा मासु तरकारी विक्रि गर्ने | १०। | |
| | | मिठाइ पसल | १०। | |
| ५. | परम्परागत सिप सँग सम्बन्धित व्यवसाय | माटाका भाँडा बेच्ने पसल ठूलो | १०। | |
| | | माटाका भाँडा बेच्ने पसल सानो | १०। | |
| | | कूचो, कुनीया नांलो बेच्ने | १०। | |
| | | जडिबुटी विक्रि गर्ने | १०। | |
| ६ | | लघु उद्यम व्यावसाय साना | १०००। | |
| ७ | | लघु उद्यम व्यावसाय ठुलो | ३०००। | |
| ८ | | कपाल काट्नेलाई | १०। | |

सन्तबीर लिम्बु
अध्यक्ष

(ख) गाउँपालिका क्षेत्र भित्र लाग्ने दैनिक गुद्रि/हाटबजार/साप्ताहीक हाटबजारमा (अस्थायी हाट बजार र घुम्ति पसल) प्रति दिन देहायका दरले कर लाग्नेछ ।

| सि न. | विषय | विवरण | आ.व. २०७६/०७७ का लागि निर्धारित कर रु. | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| १. | पशुपंक्षी विक्रि सँग सम्बन्धित | जिउँदो खसि, बोका, राँगा, सुँगुर बेच्नेलाई प्रतिगोटा | २०। | एउटा मात्र हाँस, परेवा, कुखुरा बेच्नेलाई कर नलाग्ने |
| | | हाँस, परेवा, कुखुरा बेच्नेलाई | १०। | |
| २. | अन्य व्यवसायसँग सम्बन्धित कर | चुरा, धागो, टीका सृंगार मनिहारी सँग सम्बन्धित | १५। | नोटः माथि नपरेको व्यवसायको हकमा गाउँपालिकाले निर्णय गरी रु.१। देखि रु.१००। सम्म लिन सक्नेछ । |
| | | मुरली, बाँसुरी, गुलेली, थैली, जुम्रा, उडुस मार्ने औषधि बेच्ने | ५। | |
| | | खेल, तमासा देखाउने लाई | २५। | |
| | | प्रचार, प्रसार गरी व्यवसाय गर्ने | २०। | |
| | | बाँस ट्याक्टर | ३०। | |
| | | बाँस प्रति ट्रक | ३००। | |
| | | खटियामा सामान राखी बेच्ने | ५। | |
| | | फलामको औजार तथा सामान बेच्ने | १०। | |
| | | भाँडाकुडा पसल | २०। | |
| | | फोटो फ्रेमिङ्ग | १०। | |
| | | मर्मत (कुकर, लाईट, छाता आदी) | १०। | |

सन्तबीर लिम्बु
अध्यक्ष

अनुसुची - १०
(दफा ११ संग सम्वन्धित)

पार्किङ शूल्क:

क. बस, ट्रक, लरी अन्य हेभी गाडी रु.१५।-

ख. माईक्रो,कार अन्य साना गाडी रु.१०।-

ग. विदेशी बस, ट्रक, लरी अन्य हेभी गाडी रु.३०।-

घ. विदेशी माईक्रो, कार अन्य साना गाडी रु.२५।-

*नोट : सवारी पार्किङ स्थान गाउंपालिकाले निर्णय गरी तोके बमोजिम हुनेछ ।*

सन्तबीर लिम्बु
अध्यक्ष

अनुसुची - ११
(दफा १२ संग सम्बन्धित)

ट्रेकिङ्ग कोयोकिङ्ग, क्यानोइग, बंजी जम्पिंङ्ग र ऱ्याफि्टङ्ग शुल्क

| सि.सं. | विवरण | आ.व. २०७६/०७७ का लागि निर्धारित कर रु. |
|---|---|---|
| १. | ट्रेकिङ्ग (१ दिनको लागि प्रति व्यक्ति) | रु.२०।- र १ दिन भन्दा बढी अवधिको लागि प्रति दिन रु.१०।- थप |
| २. | कोयोकिङ्ग (१ दिनको लागि प्रति व्यक्ति) | रु.३०।- १ दिन भन्दा बढी अवधिको लागि प्रति दिन रु.१०।- थप |
| ३. | क्यानोइङ्ग(१ दिनको लागि प्रति व्यक्ति) | रु.३०।- १ दिन भन्दा बढी अवधिको लागि प्रति दिन रु.१०।- थप |
| ४. | वंजी जम्पिङ्ग (प्रति व्यक्ति प्रति पटक) | रु.५०।- |
| ५. | ऱ्याफ्टिङ्ग (प्रति व्यक्ति) | रु.५०।- |

सन्तबीर लिम्बु
अध्यक्ष

अनुसुची - १२
(दफा १३ संग सम्वन्धित)

सेवा शुल्क

| सि.नं | विषय | विवरण | आ.व. २०७६/०७७ का लागि निर्धारित कर रु. |
|---|---|---|---|
| १. | सेवा सुल्क | अचल सम्पत्ति मुल्यांकन सेवा शुल्क | प्रति लाख रु. २०। |
| | | आयश्रोत मूल्यांकन प्रमाणीत शुल्क | प्रतिलाख रु.२०। |
| | | सार्वजनिक शौचालय प्रयोगमा | दिशा गरेको रु.१०। पिसाब फेरेको रु.५। |
| | | फोहोरमैला व्यवस्थापन सेवा शुल्क | प्रति घर प्रति महिना रु १५०। |
| | | अन्य विबिध सेवा शुल्क | सेवाको प्रकृति हेरी रु ५०। देखि १०००।- सम्म गाउंपालिकाले तोक्न सक्ने । |
| २. | | गाउँपालिका वा वडा कार्यालयको हल प्रयोग गरेवापत | प्रति दिन रु.१०००।- |
| ३ | | गाउँपालिकाको साउण्ड सिस्टम व्यवस्थापन | प्रति दिन रु १०००। |
| ४ | | गाउँपालिकाको टेंकर व्यवस्थापन | प्रति ट्याङ्कर रु १०००। |
| ५ | | प्रोजेक्चर, मल्टिमेडिया व्यवस्थापन | प्रति दिन ३००। |

सन्तबीर लिम्बु
अध्यक्ष

अनुसुची - १३

(दफा १४ संग सम्वन्धित)

पर्यटन शुल्क :

यस आर्थिक वर्षको लागि गाउँपालिका क्षेत्र भित्रका पर्यटकीय क्षेत्रमा प्रवेश गरेवापत प्रति व्यक्ति रु.१५ ।- पर्यटन शुल्कको रुपमा असुल उपर गरिनेछ ।

सन्तबीर लिम्बु

अध्यक्ष

अनुसुची - १४
(दफा १५ संग सम्वन्धित)

क. सिफारीस दस्तुर

| सि.नं | विषय | विवरण | आ.व. २०७६/०७७ का लागि निर्धारित कर रु. | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| १ | घर र जग्गा सम्बन्धि सिफारीस | मोही नामसारी तथा मोही बाँडफाँड सिफारीस | १००। | |
| | | जग्गा नामसारी सिफारीस | १००। | |
| | | मोही लगत कट्टा सिफारीस | १००। | |
| | | अपुताली सिफारीस दस्तुर | १००। | |
| | | चार किल्ला सिफारीस | १००। | |
| | | निवेदन दस्तुर | १०। | |
| | | पक्की घर प्रमाणीत | २००। | |
| | | कच्ची घर प्रमाणीत | १००। | |
| | | बसोवास प्रमाणीत | १००। | |
| | | व्यवसायिक घर कोठा खोल्ने | १००। | |
| | | आवासिय घर कोठा खोल्ने, घर नामसारी | १००। | |
| | | हकभोग तथा जोतभोग तथा छुट दर्ता सिफारीस | १००। | |
| | | उद्योग सम्बन्धि घरमा आगलागि | १००। | वीमा प्रयोजनका लागि, अन्यका लागि निशुल्क |
| | | साना घरेलु उद्योगमा आगलागि सिफारीस | १००। | वीमा प्रयोजनका लागि, अन्यका लागि निशुल्क |
| | | मझौला उद्योगमा आगलागि सिफारीस | १०००। | वीमा प्रयोजनका लागि, अन्यका लागि निशुल्क |
| | | ठूला उद्योगमा आगलागि सिफारीस | १५००। | वीमा प्रयोजनका लागि, अन्यका लागि निशुल्क |
| | | सर्वसाधारणको घर टहरामा आगलागि सिफारीस | निशुल्क | |
| | | नक्सा पास किताव दस्तुर | ५००। | लागु भएको अवस्थामा |
| | | संघसंस्थाको बैक खाता खोल्दा | ५००। | |
| | | नाम, उमेर थर लगायत संसोधन | २००। | |
| | | व्यवसाय प्रमाण पत्र दस्तुर | २५०। | |
| | | पक्की घर कायम सिफारीस वा घर निमार्णधिन रहेको सिफारीस | ७५० बर्गफिट सम्मको घरमा ३।०। | सो भन्दा माथिको हकमा प्रति वर्ग फुट रु. १। प्रारम्भ देखि |
| | | टिनको छाना भएको कच्ची घर कायम सिफारीस | ३००। | जति क्षेत्रफल भए पनि |
| | | कच्ची घर सिफारीस | १००। | |
| | | तिनपुस्ते खुल्ने सिफारीस | १००। | |
| २ | नागरीकता सँग सम्बन्धित सिफारीस | नागरीकता प्रमाणपत्र सिफारीस | १००। | |
| | | नागरीकता सर्जिमिन | १००। | |
| | | नागरीकताको प्रतिलिपी | १००। | |
| | | अंगीकृत नागरीकता | ५००। | |
| | | बैवाहीक अंगीकृत नागरकिता | ५००। | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | सिफारीस | | |
| ३ | पंजिकरणसँग सम्बन्धि प्रमाणीत सिफारीस | विवाह दर्ता / प्रमाणीत | २००। | |
| | | जन्म दर्ता / प्रमाणीत | १००। | |
| | | मृत्यु दर्ता / प्रमाणीत | १००। | |
| | | बसाईसराई दर्ता / प्रमाणीत | २००। | |
| | | अविवाहीत प्रमाणीत | २००। | |
| ४ | व्यक्तिसँग सम्बन्धित सिफारीस | चारीत्रिक एवम् सूचीकृत वर्ग सिफारीस स्थायी बसोवास भएका लागी | २००। | |
| | | चारीत्रिक एवम् सूचीकृत वर्ग सिफारीस छथर गापा मा स्थायी बसोवास नभएको हकमा | २५०। | |
| | | नेपाली पेन्सन पट्ट बहाकका लागि गरेको जुनसुकै सिफारीस | ३००। | |
| | | भारतिय पेन्सन बहाकका लागि जुनसुकै सिफारीस | ८००। | |
| | | अन्य देशका पेन्सन बहाकको हकमा | १५००। | |
| | | कृषि संग सम्बधित सिफारीसको हकमा | १००। | |
| | | बैदेशीक रोजगारीमा मृत्यू हूनेको सिफारीस | निशूल्क | |
| | | व्यवसाय बन्द सिफारीस | १००। | |
| | | पसल कोठामा आगजनी भएको | निशूल्क | |
| | | नाता प्रमाणीत नेपालीमा | १००। | |
| | | नाता प्रमाणीत अग्रेजीमा | २००। | |
| | | सबै प्रकारका अंग्रेजी सिफारीस | २००। | |
| | | विक्री गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र | २००। | |
| | | सहूलीयत काठको सिफारीस | २००। | दाउराको प्रयोजन भए प्रति ट्याक्टर रु २००। |
| | | अन्य माथि उल्लेख नभएका सिफारीस | १००। | |
| | | विद्यूत सिफारीस | २००। | सकूम्वासी समेतको हकमा। |

ख) अमिनबाट गरीने सबै प्रकारका सिफारीसहरु

| सि.नं | विषय | विवरण | आ.व. २०७६/०७७ का लागि निर्धारित कर रु. | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| १. | माग निवेदनको आधारमा जग्गा छुट्याउने काम | १ रोपनि सम्मको | २००। | घर बनाउन किचलो परी जग्गा छुट्याउनू परेमा थप रु. ३००। |
| | | १ रोपनि देखि माथी ५ रोपनि सम्म | १५०। | |
| | | ५ रोपनि माथी १० रोपनि सम्म | २००। | |
| | | १० रोपनि माथि २० रोपनि सम्म | २५०। | |
| | | १ रोपनि देखि माथी २० रोपनि सम्म | ३००। | |
| २. | दूरी प्रमाणीत लगायतका | बैकिङ प्रयोजनका लागी। | ५००। | |
| | | सर्बसाधारण संग जोडीएका सिफारीस | २५०। | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | अन्य अमिनसंग जोडिएका सिफारीसहरु | किचलो परी आएको हकमा | ३००। | |
| | | माथि उल्लेखीत बाहेकको हकमा | २००। | |

ग) उद्योग लगायतका सिफारीसहरु

| सि.नं. | विषय | विवरण | आ.व. २०७६/०७७ का लागि निर्धारित कर रु. | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| १ | उद्योग दर्ता सिफारीस | चाउचाउ उद्योग | १०००। | |
| | | विष्कूट उद्योग | १०००। | |
| | | चप्पल उद्योग | १०००। | |
| | | सलाई उद्योग | १०००। | |
| | | प्लाई उद्योग | २०००। | |
| | | सस उद्योग | २०००। | |
| | | कपडा उद्योग | ६००। | |
| | | बरफ उद्योग | ६००। | |
| | | कन्फेसनरी उद्योग | १५००। | |
| | | काष्ठ उद्योग | १५००। | |
| | | स मिल सहितको काष्ठ उद्योग | २२००। | |
| | | फर्निचर मात्र | १०००। | |
| | | ग्यारेज | १०००। | |
| | | पेट्रोल पम्प | ५०००। | |
| | | मट्टितेल डिलर | २०००। | |
| | | स्टेशनरी उद्योग | १५००। | |
| | | डिस्टीलरी उद्योग | ३०००। | |
| | | हल्का पेय पदार्थ | २०००। | |
| | | प्लाष्टीक उद्योग | ५०००। | |
| | | पाउरोटी केक | १०००। | |
| २. | उद्योग दर्ता सिफारीस | ग्रील उद्योग | १०००। | |
| | | गलैचा उद्योग | २०००। | |
| | | गामेन्ट उद्योग | १५०० | |
| | | भुजीया मिल | १०००। | |
| | | ईटा उद्योग आधुनीक भट्टा जडित | ७०००। | |
| | | ईटा तथा टायल आधुनीक यन्त्र जडान नगरीएको | ५०००। | |
| | | पशू आहार | ५००। | |
| | | तामा आल्मूनीयम जस्ता धातु उद्योग | १०००। | |
| | | प्रेश बाहेक प्रेन्टीङ | १५००। | |
| | | जुस उद्योग | १०००। | |
| | | चूरोट विडी | ५०००। | |
| | | बेतबांस फर्निचर | ५००। | |
| | | लुब्रिकेन्ट उद्योग | १५०००। | |
| | | माथि उल्लेख नगरीएका उद्योगहरुको हकमा | ६००। देखि २००००। सम्म गाउंपालिकाले तोके | |

| | | | बमोजिम | |
|---|---|---|---|---|

(३) निजी शिक्षण संस्था दर्ता एवम् अन्य कामका लागि सिफारीस तथा बार्षिक कर

| सि.नं. | विषय विवरण | आ.व. २०७६/०७७ का लागि निर्धारित कर रु. | कैफियत |
|---|---|---|---|
| १. | पूर्व प्राथमिक | २०००। | |
| २. | प्राथमीक | ४०००। | |
| ३. | निम्न माध्यमिक | ६०००। | |
| ४. | माध्यमिक | ८०००। | |
| ५. | उच्च मा.वि | १५०००। | |
| ६. | क्याम्पस | १८०००। | |
| ७. | प्राविधिक शिक्षण संस्था | ८०००। | |
| ८ | शिक्षक सरुवा मा.वि. | १५००। | |
| ९. | शिक्षक सरुवा आ.वि. | १२००। | |
| १० | कक्षा थप | ५०००। | |
| ११ | स्तर बृद्धी सिफारीस | ५०००। | प्रति विषय |
| १२ | अस्थायी करार शिक्षक नियक्ति मा.वि. | १५००। | |
| १३ | अस्थायी करार शिक्षक नियक्ति आ.वि. | १२००। | |

(ङ) घरबाटो प्रमाणीत (अंशवण्डा, हकछोड्ने (सरकारी प्रयोजनका लागि मात्र) परिवार भित्र नामसारी, बकस, दाईजो आदिको हकमा) सार्वजनिक अनुदान वा यस्तै प्रकारका अन्य

| सि.नं. | विषय विवरण | आ.व. २०७६/०७७ का लागि निर्धारित कर रु. | कैफियत |
|---|---|---|---|
| १. | ५ रोपनि सम्मको | १००। | |
| २. | ५ देखि १० रोपनि सम्मको | १५०। | |
| ३. | १० रोपनि देखि ५० रोपनि सम्मको | २००। | |
| ४. | ५० रोपनि देखि माथी | ३००। | |

च) घरनक्सा बनाउने ईन्जिनियरी कन्सलटेन्सी

| सि.नं. | विषय विवरण | आ.व. २०७६/०७७ का लागि निर्धारित कर रु. | कैफियत |
|---|---|---|---|
| १ | व्यवसाय दर्ता/नवीकरण शुल्क | रू.५०००। | |

५) घरबाटो प्रमाणीत (राजिनामा/विक्री प्रयोजनका लागि)

| सि.नं. | विषय विवरण | आ.व. २०७६/०७७ का लागि निर्धारित कर रु. | कैफियत |
|---|---|---|---|
| १ | शुक्रबारे बजार केन्द्र देखि २ कि.मि भन्दा बाहिरको सबै जग्गाको हकमा | १००। | |
| २ | शुक्रबारे बजार केन्द्र देखि २ कि.मि. भित्रको जग्गाको हकमा | | |
| | १ रोपनी सम्म | १००। | |
| | १ रोपनी देखि ५ रोपनी सम्म | २००। | |
| | ५ रोपनी देखि १० रोपनी सम्म | ३००। | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | १० रोपनी देखि २० रोपनी सम्म | ४०० | |
| | २० रोपनी देखि माथि सबै ५०० | ५००। | |

*गुठी जग्गाको बिक्री प्रयोजनका लागि गरीने सिफारीसमा न्यूनतम रु.३०० घर प्रतिरोपनी घर भए प्रतिकोठा रु.१२५।*

(ज) घरनक्सा पास दस्तुर

| सि.नं | विषय | विवरण | आ.व. २०७६/०७७ का लागि निर्धारित कर रु. | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| १ | घर नक्सा पास दस्तुर | १००० बर्गफूट सम्म नक्सा पास गर्दा प्रतिवर्गफूट | २। | |
| | | १००१ बर्गफूट १५०० सम्मको लागि प्रतिवर्गफूट | ३। | |
| | | १५०१ देखि २५०० बर्गफूट सम्मको लागि | ४। | |
| | | २५०१ बर्गफूट देखि ४००० बर्गफुट सम्मको लागि | ५। | |
| | | ४००१ बर्गफुट भन्दा माथि जतिसुकै भएपनि | ६। | |
| | | पर्खाल प्रति रनिङ्ग फिट | ७। | |
| | | काठको घर वा टाँडे घर प्रति वर्ग फुट | २। | |
| | | भुँईतलामा पक्की दिवाल भइ माथि टीनको छाना भएको प्रतिवर्गफुट | ३.००। | |
| २ | घर नक्सा नामसारी दस्तुर | १००० वर्गफिट सम्मको घर नक्सा नामसारी | ५००। | |
| | | १०००१ देखि २००० वर्गफूट सम्मको घर नक्सा नामसारी | ५००। | (क) घर जग्गा धनीको मृत्यु भई प्रचलित कानून बमोजिम एका सगोलका परीवारमा नामसारी गर्नू पर्दा १००० बर्गफिट सम्मको घरमा रु. ५००। सो भन्दा माथि जतिसुकै भए पनि रु.१०००। लिईने छ। |
| | | २००१ देखि ३००० वर्गफूट सम्मको घर नक्सा नामसारी | ७००। | |
| | | ३००१ देखि ४००० बर्ग फुट सम्मको | १०००। | |
| | | ४००१ देखि ५००० बर्ग फुट सम्मको | १२००। | |
| | | ५००१ बर्गफुट भन्दा माथि प्रति बर्गफुट | रू ०.५०। | |
| ३ | घर नक्सा निरीक्षण तथा सर्जमिन दस्तुर | ३००। | | |
| | लेआउट दस्तुर | २००। | | |
| | सार्वजनिक पूर्वाधार मर्मत दस्तुर | १००। | | |
| | थ्रिफेज लाईन जडान सिफारीस | ४००।<br>२००।<br>५००।<br>१००००। | | |
| | खानेपानीको धारा जडान | | | |
| | संस्था दर्ता सिफारीस | | | |
| | सिनेमा हल खोल्ने सिफारीस | | | |
| | मेला सर्कस अनूमति सिफारीस | १०००। | | |
| | टेलीफोजन जडान सिफारीस | १००।<br>५०। | | |
| | रिक्सा ठेला दर्ता, | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | नविकरण तथा नामसारी दस्तुर<br>जुनसुकै प्रकारका सरजमिन<br>माथि उल्लेख नभएका दस्तुरको हकमा | ३००।<br>३००। | |
| ४ | नक्सा पास सम्बन्धी प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी<br>घरको नक्साको प्रतिलिपी<br>अन्य प्रमाण-पत्र | ३००।<br>३००।<br>३००। | |

सन्तबीर लिम्बु
अध्यक्ष

अनुसुची - १५
(दफा १६ संग सम्वन्धित)

**कर छुट**

यस ऐनको अनुसुची २ मा उल्लेख भएको भुमि कर (मालपोत) यस आर्थिक वर्षको लागि देहाय बमोजिमका स्थानहरुमा छुट दिइनेछ ।

| क्र.सं | वडा नं. | आ.व. २०७६/०७७ का लागि निर्धारित मालपोत कर छुट |
|---|---|---|
| १. | छथर गाउँपालिका वडा नं. २ | साविक हमरजुङ्ग गाविसको वडा नं. १, २, ३, |
| २. | छथर गाउँपालिका वडा नं. ३ | साविक पन्चकन्या गाविसको (९ नं वडामा कार्यापालिकाको निर्णय बमोजिम हुने) र अन्य सबै वडामा छुट हुने |
| ३. | छथर गाउँपालिका वडा नं. ४ | साविक फाक्चामारा गाविसको वडा नं. ८, ९ बाहेक सबै |
| ४. | छथर गाउँपालिका वडा नं. ५ | साविक ओखे गाविसको वडा नं. ८, ९ बाहेक सबै |
| ५ | छथर गाउँपालिका वडा नं. ६ | साविक सुदाप वडा नं. ८, ९ बाहेक सबै र ( साविक ७ नं. वडामा कार्यापालिकाको निर्णय बमोजिम हुनेछ ।) |

*नोट : यस अघिका वर्षहरुमा मालपोत बुझाउन बांकि माथि उल्लेखित स्थानहरुका वासिन्दाको हकमा यस आर्थिक वर्ष भित्र मालपोत बुझाएमा हर्जाना शुल्क मिनाहा गरिनेछ ।*

सन्तबीर लिम्बु
अध्यक्ष

(अनुसूची-१६)

(दफा १६ सँग सम्बन्धित)

यस आ.व.को लागि गाउँपालिका भित्र व्यवसाय, समुह, समिति र संघ दर्ता तथा आवद्दता गर्दा देहाय बमोजिमका शुल्क लिइनेछ ।

| सि.नं. | विवरण | आ.व.२०७६/०७७ का लागि निर्धारित दर्ता/आवद्दता शुल्क रु. |
|---|---|---|
| १ | १ देखि १ लाख सम्म | १०००। |
| २ | १ लाख १ देखि ३ लाख सम्म | १२००। |
| ३ | ३ लाख १ देखि ५ लाख सम्म | १५००। |
| ४ | ५ लाख १ देखि १० लाख सम्म | १७००। |
| ५ | १० लाख १ देखि १५ लाख सम्म | २०००। |
| ६ | १५ लाख १ देखि २० लाख सम्म | २५००। |
| ७ | २० लाख १ देखि ५० लाख सम्म | ३०००। |
| ८ | ५० लाख १ देखि १ करोड सम्म | ५०००। |
| ९ | १ करोड १ देखि ३ करोड सम्म | १००००। |
| १० | ३ करोड १ देखि ५ करोड सम्म | १५०००। |
| ११ | ५ करोड १ देखि माथि | २००००। |
| १२ | नीजि क्याम्पस | ४०,०००। |
| १३ | नीजि विद्यालय | २५,०००। |
| १४ | मन्टसोरी, नीजि पार्क, संग्राहालय | ५,०००। |
| १५ | डिजेल, पेट्रोल पम्प | १०,०००। |
| १६ | विकास बैंक | १००००। |
| १७ | बाणिज्य बैंक | १००००। |
| १८ | सहकारी संस्था, | ५०००। |
| १९ | फाइनान्स कम्पनि | ८०००। |
| २० | मनी ट्रान्सफर | ५०००। |
| २१ | विमा व्यावसाय | ५०००। |
| २२ | जग्गा प्लटिङ व्यावसाय, निर्माण व्यावसाय, | १००००। |
| २३ | एफ.एम. सेवा | १००००। |
| २४ | स्थानीय टेलिभिजन सेवा | १००००। |
| २५ | केवल नेटवर्क, इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्था | ५०००। |
| २६ | समुह, समिति, नेटवर्क | १०००। |

**नोटः** आ.व. २०७६/०७७ भन्दा अघि संञ्चालन भएका तर व्यावसाय दर्ता नगरेको व्यावसायीहरुले आगामी आ.व.मा दर्ता गर्दा बार्षिक कर दोव्बर लाग्नेछ ।

**नोट :** आगामी आ.व. २०७४/०७५ मा अनिवार्य एकीकृत सम्पत्ति कर लागु गर्न पर्ने तर हाल सम्म एकीकृत सम्पत्ति कर सम्बन्धि अध्ययन प्रक्रियामा रहेको र प्रक्रिया सम्पन्न भई लागु भएपछि यस आर्थिक ऐनमा रहेको मालपोत तथा घरजग्गा सम्बन्धी कर स्वत खारेज हुनेछ ।

**नोट :** अनुसुची १ देखि १६ सम्म उल्लेखित यस गाउँपालिकाबाट आ.व. २०७६।०७७ का लागि प्रस्ताव गरिएको उल्लेखित रकमहरु सोहि बमोजिम लागु हुनेछन । सो भित्र नसमेटिएको र अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम हुनुपर्ने हकमा संघीय र प्रदेश कानुन बमोजिम हुनेछ । संघीय र प्रदेश कानुनसँग बाझिएमा सो नै लागु हुनेछन ।